राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद् बल्लभगढ़

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

एनसीबी, बल्लभगढ़ कार्यालय में दिनांक 18 मार्च 2026 को "भारत सरकार की राजभाषा नीति और हमारे दायित्व" विषय पर एक कार्यशाला तथा "राजभाषा हिन्दी से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता" का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राजभाषा हिन्दी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यशालाओं एवं विचार-विमर्श संगोष्ठियों के आयोजन के निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी क्रम में उक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला की अध्यक्षता आदरणीय डॉ. लोक प्रताप सिंह, महानिदेशक, एनसीबी द्वारा की गई। इस अवसर पर श्री अमित त्रिवेदी, सेवा प्रमुख – एचआरएस, डॉ. संजय मुँदड़ा, सेवा प्रमुख – ईटीएस एवं डॉ कपिल कुकरेजा, केंद्र प्रमुख – सीएमई भी उपस्थित रहें।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में माननीय श्री बाबूलाल मीना, उप-निदेशक हिन्दी अनुभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार को आमंत्रित किया गया।

आदरणीय महानिदेशक महोदय ने सर्वप्रथम कार्यशाला में मुख्य वक्ता श्री बाबू लाल मीना, उप-निदेशक (राजभाषा), का स्वागत किया। महानिदेशक महोदय ने अपने संबोधन में बताया कि कार्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग में निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा ई-ऑफिस का उपयोग भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदी अपने विचारों को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी कार्मिकों से आग्रह किया कि वे ई-ऑफिस सहित अपने कार्यालयीन कार्यों में अधिकाधिक रूप से राजभाषा हिंदी का प्रयोग करें।

माननीय मुख्य अतिथि वक्ता श्री बाबू लाल मीना जी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनिवार्यताओं तथा राजभाषा नियम, 1976 के अनुपालन से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होंने ई-ऑफिस के उपयोग में की जाने वाली नोटिंग के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि

अनुवाद कार्य की सुविधा हेतु ई-ऑफिस को 'भाषिणी' टूल के साथ जोड़ा गया है, जिसके कारण ई-ऑफिस में अनुवाद कार्य करना अत्यंत सरल एवं सुगम हो गया है।

कार्यशाला के दौरान एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में राजभाषा नियम, राजभाषा अधिनियम तथा संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को कार्यालय द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।

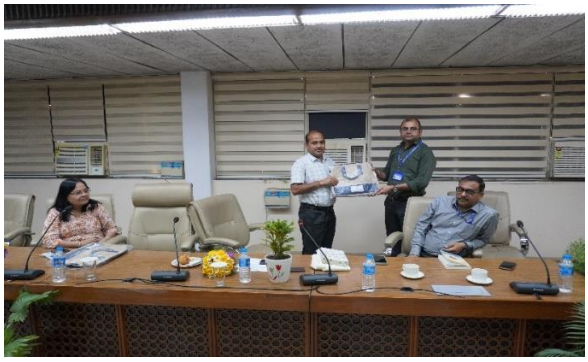

कार्यशाला के अंत में सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं उसके प्रचार-प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करें तथा आदरणीय मीना जी द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारी एवं मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए अपने कार्यालयीन कार्यों को अधिकाधिक हिंदी में संपादित करें। अंत में, मीना जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए तथा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन किया गया।